



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 28, 2014/कार्तिक 6, 1936

No. 298]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2014/KARTIKA 6, 1936

राजीव गांधी विश्वविद्यालय

शुद्धिपत्र

अरुणाचल प्रदेश, 3 अप्रैल, 2014

सं. ए.डी.एम-12/एस.बी./2000-11.—राजपत्रित अधिसूचना में दिनांक 4-10 जून, 2011 को प्रकाशित राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, दोइमुख, अरुणाचल प्रदेश की कार्यकारी परिषद् व शैक्षणिक परिषद् के लिए परिनियम का संशोधन (भाग-II, अनुभाग 04) यथा परिनियम में संशोधन कुलाध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के अंतर्गत धारा 23 (1 व 2) तथा 24(7 व 2) अनुमोदित किया गया।

कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित परिनियम में संशोधन क्रमशः ‘विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 अंतर्गत धारा 23(1 व 2) तथा धारा 24(1 व 2) के बदले ‘परिनियम 11 अंतर्गत (कार्यकारी परिषद्) तथा परिनियम 13 अंतर्गत (शैक्षणिक परिषद्)’ पढ़ा जाए।

डॉ. राचोब ताबा, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./191-आर/14]

RAJIV GANDHI UNIVERSITY

CORRIGENDUM

Arunachal Pradesh, the 3rd April, 2014

No. ADM-12/SB/2000-11.—The amendments of Statutes to the Executive Council and the Academic Council of Rajiv Gandhi University, Rono Hills, Doimukh, Arunachal Pradesh published vide Gazette Notification of India dated 4—10 June, 2011 (Part-III Section 4) as the amendments to the Statutes approved by the Visitor 'under the Section 23(1&2) and 24(1&2) of this University Act, 2006'.

The amendment to the Statutes approved by the Visitor shall be read as 'under the Statutes 11 (Executive Council) and 13 (Academic Council) instead of 'under Section 23(1&2) and 24(1&2) of this University Act, 2006' respectively.

Dr. RACHOB TABA, Registrar

[ADVT-III/4/Exty./191-R/14]